रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1881] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2015/भाद्र 13, 1937
No. 1881] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2015/BHADRA 13, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2015

का.आ. 2416(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 408 (अ), तारीख 6 फरवरी, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 6 फरवरी, 2015 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के पृष्ठ संख्या 9 (अंग्रेजी पाठ) में गांव ''धर्मसागराम'' के अधीन प्रकाशित सर्वेक्षण संख्या 52/B से 131 तक को विलोपित माना जाए और इन्हें गांव ''बैलुवाद्दीगेरी'' के अधीन पढ़ा जाए ।

[फा. सं. भाराराप्रा/एलए/पीआईयू–होसपेट/कर्नाटक]

वी. कृष्णास्वामी, निदेशक

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का.आ. 408(अ), तारीख 6 फरवरी, 2015, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 6 फरवरी, 2015 को प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2015

S.O. 2416(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956, (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.408 (E) dated 6th February, 2015 published in the Government of India, Extraordinary Part-II, section 3, sub-section (ii) dated 6th February, 2015 namely:—

In the schedule of the aforesaid notification at page No. 09 (English Version) the survey Nos. from 52/B to 131 published under village Dharmasagaram may be treated as deleted and the same be read under village Bailuvaddigeri.

[F. No. NHAI/LA/PIU-Hospet/Karnataka]

V. KRISHNASWAMY, Director

Foot Note : The principal notification was published vide S.O. No. 408 (E) dated 6th Febaruary, 2015 in the Gazette of India, extraordinary part-II, section 3, sub-section (ii) dated 6th Febaruary, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.